

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य R.A. 5
 मुकदमा नं. 43 सन 2015 सीगह
 श्री श्री मती अनीषा बानो w/o मो बनाम श्री जालम सिंह चिला अमर सिंह
सुकुम अन्सारी सिवाली राजपूत सिवाली माधरा
सापरा

दावा बाबत 53 R.T. Act
 यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
 वादी की ओर से वकील श्री प्रा. वि. प्रतिवादी की ओर से वकील प्रतिवादी
 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सापरा

पटवार इन्टर सापरा लटलील गोगुन्दा की जमाबंदी संवत्
2067 से 2070 के खाला सांजा उ में वर्तित चारही डिमा
1 रकवा 0.0400 ह. भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण उ
महल हिसा अनुवार वार मिसल एवं वाडण्डल उ साधार
पर विभाजन किये जाने हेतु लटलीलहा गोगुन्दा उ उभयका
निपुन्न किया जाता है

और इस वाद के खर्च लेखे - रुपये की राशि - आज की तारीख
 से वसूली की तारीख तक उस पर - प्रतिशत की दर से ब्याज सहित -
 द्वारा - को दी जाये।
 यह आज तारीख 18 मार 06 सन 2015 को
 मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

सदस्य
लोक अदालत, गोगुन्दा

सदस्य
लोक अदालत, गोगुन्दा

(एस. एम. झाचार्य)
 हस्ताक्षर न्यायाधीश
 उपखण्ड अधिकारी
 पद. गोगुन्दा जिला उदयपुर

वाद के खर्च

| वादी | रुपये | पैसे | प्रतिवादी | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्च | | | स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्च | | |
| योग | | | योग | | |

(एस. एम. झाचार्य)
 उपखण्ड अधिकारी
 गोगुन्दा जिला उदयपुर